पेंशन निधि विनियामक और
विकास प्राधिकरण
बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन,
कुतुब संस्थागत क्षेत्र,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016.
दूरभाष : 011-26517501, 26517503, 26133730
फैक्स : 011-26517507
वेबसाइट : www.pfrda.org.in

PENSION FUND REGULATORY
AND DEVELOPMENT AUTHORITY
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan,
Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016.
Ph : 011-26517501, 26517503, 26133730
Fax : 011-26517507
Website : www.pfrda.org.in

परिपत्र

परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2017/32/निकासी/2 दिनांकः 09.10.2017

सभी भागीदारों– सरकारी (केंद्रीय/राज्य), केंद्रीय स्वायत्त निकायों/राज्य स्वायत्त निकायों/जिला खजाना कार्यालय/ निदेशालय खजाना एवं खाते/केंद्रीय आहरण एवं संवितरण कार्यालय/ प्रमुख लेखा कार्यालय/वेतन एवं लेखा कार्यालय/आहरण एवं संवितरण कार्यालय, राष्ट्रीय पेंशन योजना न्यास, केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसी, उपस्थिति अस्तित्व, सेवानिवृत्ति सलाहाकारों के लिए

विषयः एकमुश्त राशि एवं वार्षिकी के आस्थगन तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत टीयर –II खातों के निरंतरण हेतु दिशानिर्देश।

प्राधिकरण ने 11 मई 2015 को तथा 10 अगस्त 2017 को पीएफआरडीए(राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत निकासी तथा प्रत्याहरण) विनियमों, 2015, एवं उसके प्रथम संशोधन को अधिसूचित किया है तथा ये दोनों ही लागू हैं। यह हमारे परिपत्र सं–पीएफआरडीए/2016/13/निकासी/06 दिनांक 27.07.2016 के क्रम में है जो एनपीएस खातों की निरंतरता के विभिन्न पक्षों पर स्पष्टीकरण देता है।

अधिक स्पष्टता प्रदान करने तथा विनियमों एवं परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार एकमुश्त राशि एवं वार्षिकी के आस्थगन और टीयर–II खातों के विभिन्न आस्थगन प्रावधानों तथा निरंतरता की बेहतर समझ के लिए, तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत टीयर–II खातों के निरंतरण के लिए हम निम्नलिखित दिशानिर्देश ज़ारी कर रहे हैं:

क्र.सं	प्रश्न	स्पष्टीकरण
1	प्रणाली से समयपूर्व निकलने की स्थिति में क्या में अपनी एकमुश्त राशि को स्थगित रख सकता हूँ/सकती हूँ ?	नहीं, अभिदाता प्रणाली से समयपूर्व निकलने की स्थिति में अपनी एकमुश्त राशि को स्थगित नहीं रख सकता।
2	60 वर्ष की आयु प्राप्त करने या अधिवर्षिता के बाद, मैंने महसूस किया कि मुझे एनपीएस खाता जारी रखना चाहिए। क्या मैं खाता जारी रखने का विकल्प अपना सकता हूँ /सकती हूँ ?	नहीं, निकासी तथा प्रत्याहरण प्रणाली के अनुसार केंद्रीय रिकार्डकीपिंग ऐजेंसी अभिदाता तथा संबंधित कार्यालय यदि कोई हो तो, को सूचित करती है, अधिवर्षिता की तिथि या 60 वर्ष की आयु पर जब

		अभिदाता सेवानिवृत्त होने वाला है से 6 माह पूर्व बताता है कि वह सेवानिवृत्त होने वाला है या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला है तथा साथ ही निकासी से संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने का संकेत देता है जिसमें एकमुश्त राशि एवं वार्षिकी के आस्थगन के कार्यान्वयन का विकल्प भी सम्मिलित है, यदि आवश्यक हो तो। यह अभिदाता के लिए 60 वर्ष की आयु से पूर्व या अधिवर्षिता पर आस्थगन के विषय में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय है ।
3.	जहाँ नियोक्ता–कर्मचारी संबंध होता है और अभिदाता अधिवर्षिता की आयु के बाद खाता जारी रखना चाहता है तो क्या नियोक्ता अंशदानों की अपलोडिंग में सहायता प्रदान करेगा?	नहीं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरंतरता के विकल्प के पश्चात्, अभिदाता अपने एनपीएस खाते को व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार स्थानांतरित कर सकता है तथा जारी रख सकता है। नियोक्ता एनपीएस संबंधी गतिविधियों में सहायता नहीं करेगा।
4.	अनिवार्य कम से कम 40% वार्षिकी की खरीद किस संचित पेंशन कोष पर लागू होगी अर्थात् 60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के समय उपलब्ध कोष पर **अथवा** एनपीएस को जारी रखने के लाभ के बाद निकासी के समय उपलब्ध कोष पर ?	संचित पेंशन कोष का न्यूनतम 40% स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) में एनीपीएस से पूर्ण निकासी की तिथि (60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु के बाद जारी रखने के पश्चात् किसी समय) पर उपलब्ध होता है, जिसमें वो अंशदान तथा निवेश आय सम्मिलित हैं, जो कि खातों में 60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु के बाद अंशदान दी गई या जमा की गई है, उसे अनिवार्य रुप से वार्षिकी खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष राशि का एकमुश्त के रुप में भुगतान किया जाएगा। अभिदाता की असमयिक मृत्यु की स्थिति में, निकासी तथा प्रत्याहरण शर्तें जो कि विनियमों में निर्दिष्ट हैं लागू होंगी।
5.	क्या कोई व्यक्ति एनपीएस में अंशदान हेतु 70 वर्ष की आयु तक अंशदान करने के वादे के अनुरोध के पश्चात् किसी भी समय पर निकासी कर सकता है?	हाँ, अभिदाता एनपीएस में अंशदान की सुविधा जारी रखने का लाभ उठाने के पश्चात् अभिदाता द्वारा एनपीएस में अंशदान जारी रखने के अनुरोध के समय सूचित समय सीमा से भिन्न, एनपीएस से किसी भी समय निकासी कर सकता है।
6.	क्या मैं अंशदानों/निरंतरता (60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता की आयु के पश्चात्) के बढ़े	नहीं, अभिदाता बढ़ाए गए समय के दौरान, एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी को टालने के

	हुए समय के दौरान एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी को टालने के विकल्प का लाभ उठा सकता हूँ/सकती हूँ ?	विकल्प का लाभ जो कि अधिवर्षिता या 60 वर्षों की आयु के पहले उपलब्ध है, नहीं उठा सकता क्योंकि अभिदाता स्वेच्छा से एनपीएस प्रणाली को बढ़ाए गए समय के दौरान किसी भी समय छोड़ सकता/सकती है।
7.	अभिदाता जो एनपीएस प्रणाली में 60 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु के बीच शामिल हुआ है, क्या एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी के आस्थगन के विकल्प का लाभ उठा सकता है?	नहीं, अभिदाता एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी के आस्थगन के विकल्प का लाभ नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पास प्रणाली में 70 वर्ष की आयु तक बने रहने या किसी भी समय प्रणाली से निकासी का विकल्प है। यदि अभिदाता एनपीएस प्रणाली को शामिल होने की तिथि से न्यूनतम तीन वर्ष पूर्ण किए बिना छोड़ देता है तो निकासी को समय से पूर्व निकासी समझा जाएगा तथा 3 वर्ष पश्चात् इसे सामान्य निकासी समझा जाएगा, तथा इन पर समय से पूर्व निकासी या सामान्य निकासी हेतु मान्य नियम लागू किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए पीएफआरडीए (एनपीएस से निकासी तथा प्रत्याहरण) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2017 देखें।
8.	जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता के पश्चात् एकमुश्त राशि तथा वार्षिकी के आस्थगन दोनों के विकल्प को चुनता है, तो क्या टीयर–I खाते के साथ टीयर–II खाते को भी जारी रखा जा सकता है ?	टीयर–II खाते जारी रहेंगे : एकल स्विच को छोड़कर सभी सुविधाएं जो टीयर –II खाते में 60 वर्ष की आयु से पूर्व उपलब्ध है, टीयर –I (एकमुश्त राशि का प्रत्याहरण), खातों के बंद होने तक जारी रहेंगी या अभिदाता द्वारा टीयर – II खातो को बंद करने का निर्णय लिया गया हो।
9.	जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता के पश्चात् केवल एकमुश्त राशि के आस्थगन के विकल्प को चुनता है तो क्या टीयर –I खाते के साथ टीयर –II खाते को भी जारी रखा जा सकता है ?	टीयर–II खाता जारी रहेगा : एकल स्विच को छोड़कर सभी सुविधाएं टीयर –II खाते में 60 वर्ष की आयु से पूर्व उपलब्ध है, टीयर –I (एकमुश्त राशि का प्रत्याहरण) खातों के बंद होने तक जारी रहेंगी या अभिदाता द्वारा टीयर – II खातो को बंद करने का निर्णय लिया गया हो।
10.	जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता के पश्चात् वार्षिकी के आस्थगन के	टीयर –I खाते से एकमुश्त प्रत्याहरण के समय ही टीयर –II खाते को बंद कर दिया

	विकल्प को चुनता है तो क्या टीयर –I खाते के साथ टीयर –II खाते को भी जारी रखा जा सकता है?	जाएगा।
11.	जब कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु या अधिवर्षिता के पश्चात् केवल एकमुश्त राशि के आस्थगन के साथ चरणबद्ध प्रत्याहरण के विकल्प को चुनता है तो क्या टीयर–I खाते के साथ टीयर–II खाते को भी जारी रखा जा सकता है ?	टीयर –I खाते से एकमुश्त प्रत्याहरण के समय ही टीयर –II खाते को बंद कर दिया जाएगा।

भवदीय

वेंकटेश्वरलू पेरी

(वेंकटेश्वरलू पेरी)
मुख्य महाप्रबंधक